समाहरणालय, कटिहार

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा,)

— :: आदेश :: —

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्र संख्या–151/आ०प्र० दिनांक 06.03.2018 के द्वारा वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष–2017–18** में स्कीम बजट **शीर्ष–2245** प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य **शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात** आदि, **लघुशीर्ष–001**–निदेशन तथा प्रशासन, **उपशीर्ष–0101– बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था**, विपत्र कोड 39–2245020010101 विस्तृत शीर्ष – 21–सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष–01 सामग्री एवं पूर्तियाँ, मांग संख्या 39 के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरी का अधियाचित पत्रांक 859/आ०प्र० दिनांक 26.08.2017 के आलोक में मो0– 2,44,12,000.00 (दो करोड़ चौवालीस लाख बारह हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन में से जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कटिहार को उनके नाम के सामने अंकित राशि का उपावंटन करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

अतएव इस उपावंटित राशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017 के बाढ़ पूर्व तैयारी के दौरान क्रय किये गए सरकारी देशी नाव के ही भुगतान हेतु दी जा रही है। साथ ही संबंधित जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान करने के पूर्व आपूर्ति किये गए सभी नावों का भौतिक सत्यापन वरीय पदाधिकारियों का एक टीम/टीमें बनाकर करा लेंगे तथा नावों के वास्तविक मूल्य से संतुष्ट होने के उपरांत इस तथ्य से भी स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि आपूर्ति किये गए सभी नाव निर्धारित विशिष्टियों/गुणवत्ता के अनुरूप हैं। क्रय किये गए सरकारी नाव के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था भी की जाय। निदेश है कि उपावंटित राशि का व्यय उसी मद मे किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। किसी भी स्थिति में राशि की निकासी ए०सी० विपत्र पर नहीं की जाय। उक्त राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नही रखेगें तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दिनांक 25.03.2018** तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगें। यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक– 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदा० का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	शीर्ष 2245–02–001–0101 बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था (नाव क्रय हेतु), इकाई मद में उपावंटित राशि			अवशेष राशि
			पूर्व	वर्त्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कटिहार	2,44,12,000.00	–	2,44,12,000.00	2,44,12,000.00	–
	कुल योग	2,44,12,000.00	–	2,44,12,000.00	2,44,12,000.00	–

मो0 (दो करोड़ चौवालीस लाख बारह हजार) रूपये मात्र।

15/3/18

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 421 / आ0प्र0 II-01 & V-04 / 2017–18, दिनांक 15/3/18

प्रतिलिपि :–जिला नजारत उप समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/3/18

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।